"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 147] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 मई 2006—वैशाख 26, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 16 मई 2006

क्रमांक 4820/डी-145/21-अ/प्रारुपण/06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 6-5-2006 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 17 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ होटल तथा वासगृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2006

छत्तीसगढ़ होटल तथा वासगृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 (क्र. 13 सन् 1988) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के संतावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (एक) इस अधिनियम का नाम छत्तीसगढ़ होटल तथा वासगृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 17 सन् 2006) है.

(दो) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से प्रवृत्त होगा.

धारा 2, 4, 6, 7 एवं 8 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ होटल तथा वासगृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 (क्रमांक 13 सन् 1988) (जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) की धारा 2, 4, 6, 7 एवं 8 में, जहां कहीं भी शब्द एवं अंक "वाणिज्यिक कर अधिनियम" या "वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995)" आये हों, के स्थान पर शब्द एवं अंक "छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005)" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 6 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 6 में, अंकों "3, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 एवं 80" के स्थान पर अंकों, "3, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 एवं 73" को प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 8 (5) का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (5) में शब्द एवं अंक "वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 22" के स्थान पर शब्द एवं अंक "छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 16" प्रतिस्थापित किया जाए.

रायपुर, दिनांक 16 मई 2006.

क्रमांक 4820/डी-145/21-अ/प्रारुपण/06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छ. ग. होटल तथा वासगृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्र. 17 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 17 of 2006)

CHHATTISGARH HOTEL TATHA VAS GRIHON ME VILAS VASTUON PAR KAR (AMENDMENT) ACT, 2006

An Act further to amend the Chhattisgarh Hotel Tatha Vas Grihon Me Vilas Vastuon Par Kar Adhiniyam, 1988 (No. 13 of 1988).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-seventh year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (i) This Act may be called Chhattisgarh Hotel Tatha Vas Grihon Me Vilas Vastuon Par Kar (Amendment) Adhiniyam, 2006 (No. 17 of 2006).

   (ii) It shall come into force from First of April 2006.

Amendment of Section 2, 4, 6, 7 and 8.

2. In section 2, 4, 6, 7 and 8 of the Chhattisgarh Hotel Tatha Vas Grihon Me Vilas Vastuon Par Kar Adhiniyam, 1988 (No. 13 of 1988) (hereinafter referred to as the principal Act), wherever the words and figures "Commercial Tax Act" or "Commercial Tax Act, 1994 (No. 5 of 1995)" occur, the words and figures "Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005)" shall be substituted.

Amendment of Section 6.

3. In section 6 of the Principal Act for the figures "3, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 and 80" the figures "3, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 and 73" shall be substituted.

Amendment of Section 8 (5).

4. In sub-section (5) of section 8 of the principal Act, for the words and figure "Section 22 of Commercial Tax Act" the words and figures "Section 16 of Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005)" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.